Production of Nitrogenous Fertilisers during 1976-77

1358. SHRI P. GANGADEB: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether his Ministry is taking any steps to produce more Nitrogenous fertilisers in 1976-77, as compared to 1975-76;

(b) if so, what will be the percentage of increase; and

(c) what is the current years production target for the Nitrogenous fertilizers?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c). The target for production of nitrogen has been fixed at 19.5 lakh tonnes during 1976-77 which would represent a 27 per cent increase over the production of 15.35 lakh tonnes achieved during 1975-76.

Credit by World Bank for Modernisation of Sindri Fertilizer Plant

1359. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state the terms and conditions of the credit to India by the International Development Association of the World Bank for the modernisation and expansion of the Sindri Fertilizer Plant?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): The International Development Association, an affiliate of the world Bank, has granted a credit of $ 91 million for the Sindri Modernisation Plant. The credit is repayable in fifty years including ten years of grace period. The credit does not carry any interest but only a service charge of 3/4 per cent per annum.

निर्मली-फारबिसगंज मीटर गेज लाइन का पुनः बिछाया जाना

1360. श्री चिरंजीब झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के निर्मली-फारबिसगंज मीटर गेज रेल लाइन को पुनः बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). सर्वेक्षण दल प्रस्तावित रेल सम्पर्क की सर्वेक्षण रिपोर्ट का संकलन कर रहा है और आशा है कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जायेगी। रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद उनकी जांच का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

1361. श्री मूल चन्द डागा: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान पर इस समय तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या संस्थान की उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिये कोई पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो क्या इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें किस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० ए० सैयद मोहम्मद) : (क) वर्ष 1965–66 से 1975–76 के दौरान भारत सरकार ने कुल 20,59,300 रु० का सहायता अनुदान दिया है। संस्थान को, चालू वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए अब तक 1,00,000 रु० का सहायता अनुदान भी दिया जा चुका है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें पुनरीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें दर्शाई गई हैं। सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान को पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों से अवगत करा दिया गया है। इन सिफारिशों पर उसकी प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विवरण

पुनरीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) संस्थान को चाहिए कि वह अपना कार्यकलाप सांविधानिक और संसदीय अध्ययन के क्षेत्र तक ही सीमित रखे और उसे अपने वे कार्यकलाप छोड़ देना चाहिए जो उसके उद्देश्यों से सीधे सम्बन्धित न हों।

(ii) संस्थान तदर्थ विदेशी अनुदानों के कारण अपनी पूर्विकताओं और उद्देश्यों से विचलित न हो इसके लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की जानी चाहिएं।

(iii) संस्थान को चाहिए कि वह सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना विदेशी या देशी किसी भी स्रोत से कोई अनुदान/संदान स्वीकार न करे और न अपने कार्यकरण में सलाह देने के लिए किसी विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त करे। विदेशी बैंकों में जमा निधियां/धन भारत में अन्तरित कर लिया जाना चाहिए।

(iv) संस्थान को चाहिए कि वह अपने प्रबन्ध और दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में संरचनात्मक परिवर्तन और सुधार लाने के लिए अपने संगम ज्ञापन (मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन) और नियमों में संशोधन करें।

(v) संस्थान को चाहिए कि वह, अन्य बातों के साथ, अपने कर्मचारियों की बाबत भरती, सेवा शर्तों, उत्तरदायित्व के आबंटन, आदि को शासित करने वाले व्यापक नियम गठित करें।

(vi) यदि संस्थान इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का वचन देता है तो उसे आरम्भ में 4 लाख रुपए तक का वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए।

ब्रांच सेक्रेटेरियेट, बम्बई में सरकारी वकील अथवा कानूनी सलाहकार

1362. श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रांच सेक्रेटेरियेट, बम्बई में कितने सरकारी वकील अथवा कानूनी